



राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/ 2021

जयपुर, दिनांक : 12-01-2021

आज्ञा

श्री अयूब खां, आर.ए.एस., उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर उत्तर, जोधपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित होने के कारण राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से निलम्बित करने के एतद्वारा आदेश प्रदान करती है।

श्री अयूब खां, आर.ए.एस. का निलम्बन अवधि में मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
- 6 सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
- 7 आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर उत्तर, जोधपुर।
- 8 श्री अयूब खां, आर.ए.एस. (द्वारा आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर उत्तर, जोधपुर) को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोडे।
- 9 कार्मिक (क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 10 कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 11 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 12 सिस्टम-एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 13 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

- 1 प्रतिलिपि अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव